

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CENTRAL SECRETARIAT
1979
OF INDIA

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 1979/आश्विन 13, 1901

No 26] NEW DELHI FRIDAY, OCTOBER 5, 1979/ASVINA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी गयी हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उत्त सञ्चालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1979

फा. सं. 34/6/79-प्रशा. 1/सं. 47.—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में अपर सचिव श्री बी. बी. गजराल को 5 अक्टूबर, 1979 को और उस तारीख से प्रारम्भ हो कर 21 अक्टूबर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य भी नियुक्त करती है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1979

F. No. 34/6/79-Ad. I/No. 47.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri B. B. Gujral, Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), to be also a Member of the Central Board of Excise and Customs for the period commencing on and from the 5th of October, 1979, to the 21st of October, 1979.

फा. सं. 34/6/79-प्रशा. 1/सं. 48.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड (कारबार के संव्यवहार का विनियमन) नियम, 1964 के नियम 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य श्री बी. बी. गुजराल को, अध्यक्ष के छुट्टी पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान, 5 अक्टूबर, 1979 से 21 अक्टूबर, 1979 तक उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करती है।

एन. एन. सरीन, अवर सचिव

F. No. 34/6/79-Ad. I/No. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 3 of the Central Board of Excise and Customs (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, the Central Government hereby authorises Shri B. B. Gujral, a Member of the Central Board of Excise and Customs to discharge, during the period of absence of the Chairman on leave, the functions of the Chairman from the 5th of October, 1979 to the 21st of October, 1979.

A. N. SAREEN, Under Secy.